राजस्थान–सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जल पथ, गाँधीनगर, जयपुर

क्रमांक F 29(3)/वि. AWC/मरम्मत निर्माण/मो./आई./2017–18/12939–11021 जयपुर दिनांक 18-6-18

उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

विषयः– विद्यालय परिसर में संचालित आंगनबाडी केन्द्रों के संबंध में।
संदर्भः– प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग का अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 60720/3838 दिनांक 05.06.2018

समेकित बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत शिक्षा विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के मध्य दिनांक 24.01.2017 को आयोजित संयुक्त बैठक के निर्णय अनुसार दिनांक 24.04.2017 को दोनो विभागो के अधिकारियों के माध्यम से संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा पत्र जारी किया गया था। जिसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था की सुदृढीकरण एवं गुणवत्त के संदर्भ में संयुक्त पॉलिसी जारी करने का निर्णय लिया गया था। (पत्र की छाया प्रति संलग्न है)।

प्रमुख शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिये जा चुके है। कि जो आंगनबाड़ी केन्द्र भवन विहीन है, उन आंगनबाड़ी केन्द्रों को विद्याल गय परिसर के अंतर्गत रिक्त कक्ष उपलब्ध करावें। साथ ही यह भी निर्देश दियेये थे की जिन केन्द्रों के भवन नही है एवं विद्यालय में रिक्त कक्ष उपलब्ध नही होने की स्थिति में विद्यालय परिसंर में उपलब्ध भूमि पर भवन निर्माण कराने हेतु (NOC) जारी करावें।

अतः प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग का अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 60720/3838 दिनांक 05.06.2018 की छाया प्रति संलग्न कर आपको निर्देशित किया जाता है कि सम्बधित जिला शिक्षा अधिकारी से संपर्क कर विद्यालय परिसर के नजदीक किराये के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु विद्यालय परिसर में उपलब्ध भूमि पर भवन निर्माण कराने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करवाने की व्यवस्था करावें। ताकि आंगनबाड़ी केन्द्रों का ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा कन्वर्जेन्स के तहत तथा शहरी क्षेत्र में MLA/MP कोटएवं अन्य भामाशाहों द्वारा भवन निर्माण कराया जा सके।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक F 29(3)/वि. AWC/मरम्मत निर्माण/मो./आई./2017–18 /13022-025 जयपुर दिनांक 18-6-18
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
2. शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
3. आयुक्त, पंचायती राज विभाग, सचिवालय।
4. ACP को विभागीय वेब साईट पर अपलोड हेतु।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर

D:/Nirman/Letter /docx

Naresh Pal Gangwar, IAS
Principal Secretary to Government

School Education
and Language Department
Government of Rajasthan, Jaipur

DO LetterNo :60720/3838
Jaipur, Dated :05.06.2018

Dear Mrs Singh,

As you are aware, School Education Department and Women & Child Development Department have been working in tandem for integration of Aanganwadi Centres with nearest schools to realise the goal of school preparedness and thus quality elementary education for all Aanganwadi children. In this context, I would like to draw your attention towards the policy decision taken in the joint meeting of School Education Department and ICDS Department dated 24-01-2017 that, in case there is land available in school campus all Principals/ Heads of Institutes concerned will be authorized to issue No Objection Certificates (NoCs) for construction of new Aanganwadi buildings in their respective campuses. Minutes of the meeting and subsequent directions issued to Director Elementary and Director Secondary, Bikaner are annexed for your ready reference. The decision was based on the fact that the Aanganwadi workers need some hand-holding for addressing the academic role expected of them and this hand-holding by schools will in turn lead to better learning levels among children.

It has come to my knowledge that ICDS has got approval for construction of new Aanganwadi buildings for running their centres, for Year 2018-19. In alignment with the decisions taken in the above mentioned meeting, it is desirable that these new Aanganwadi Centres are constructed in nearby school premises. Only in the instance of non-availability of land in the nearby school, it may be considered to construct the new Aanganwadi building at some other place.

The Rajasthan Model of school and Aanganwadi integration has received nationwide appreciation and MHRD, GOI has issued advisory to all States/ UTs to work on similar lines. So, I would appreciate it if you could issue directions to your officers concerned for construction of Aanganwadi centres in school premises on a priority basis and look at other options only in case of non availability of land therein. I look forward to your continued support in this effort so that we can address the issue of equitable quality education for all children.

Annexed: As above

Regards,

(Naresh Pal Gangwar)

Smt. Roli Singh
Principal Secretary,
Women & Child Development Department

Room No. 1212, Main Building, Government Secretariat, Jaipur-302005
Tel. : 0141-2227389 (O) Telefax : 0141-2227570
E-mail : pseducation2013@yahoo.com